रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 28, 2005/माघ 8, 1926
No. 38] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 28, 2005/MAGHA 8, 1926

## विद्युत मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2005

**सा.का.नि. 48(अ).**—केन्द्रीय सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 76) की धारा 176 की उपधारा (2) के खण्ड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(ख) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ग) उन शब्दों और पदों के जो प्रयुक्त हुए हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु उक्त अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः उक्त अधिनियम में हैं।

3. **वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना.**—(1) केन्द्रीय आयोग प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष के दौरान आगामी वर्ष के एक अप्रैल से 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण देते हुए/अन्तर्विष्ट करते हुए अनुसूची में विनिर्दिष्ट एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(2) वार्षिक रिपोर्ट में पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान क्रियाकलापों का एक लेखा दिया जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा—

(क) केन्द्रीय आयोग के लक्ष्यों और उद्देश्यों का विवरण;

(ख) खण्ड (क) की पृष्ठभूमि में विभिन्न क्रियाकलापों के लिए दिए गए वार्षिक लक्ष्य जिनके साथ उन लक्ष्यों के प्रतिनिर्देश से वास्तविक निष्पादन का एक संक्षिप्त विवरण होगा और इसके अंतर्गत वर्ष के दौरान केन्द्रीय आयोग के समक्ष फाइल किए गए मामलों की संख्या के संबंध में एक विशिष्ट रिपोर्ट, निपटारा किए गए मामलों की संख्या, मामलों के निपटारे में लिया गया समय और लम्बित मामलों की संख्या भी सम्मिलत है;

(ग) केन्द्रीय आयोग के विनियमों में महत्वपूर्ण परिवर्धन/परिवर्तन;

(घ) केन्द्रीय सलाहकार समिति का कार्यकरण और पणधारियों के साथ अन्य परामर्श;

(ङ) महत्वपूर्ण मानदंडों जैसे पूंजी लागत, विद्युत की लागत, नए विनिधान, दक्षतालाभों के रुझान;

(च) उन मामलों की संख्या और ब्यौरे जिनमें आयोग के आदेशों/विनियमों को न्यायालयों/अपील अधिकरण में चुनौती दी गई और ऐसे मामलों का निष्कर्ष;

(छ) विवादों का समाधान जिसके अंतर्गत वर्ष के अंत में लम्बित विवाद भी हैं।

4. **वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना.**—वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां प्रत्येक वर्ष के अक्तूबर मास के अंत में केन्द्रीय आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएगी।

## अनुसूची

## केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना) नियम, 2004

**(नियम 3 देखें)**

## केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप

1. संक्षिप्त में आयोग का नाम
2. आयोग की आज्ञा
3. मिशन का विवरण
4. गत वर्ष
5. आयोग की प्राप्तियों और व्ययों को दर्शित करते हुए वार्षिक लेखा
6. उपभोक्ताओं के फायदे और सैक्टर के विकास के निबंधन में विनियामक प्रक्रिया का निष्कर्ष
7. आगामी वर्ष के लिए कार्य योजना।

[फा. सं. 23/74/2003-आर एण्ड आर]

अजय शंकर, अपर सचिव

## MINISTRY OF POWER

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2005

**G.S.R. 48(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (o) of Sub-section (2) of Section 176 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Preparation of Annual Reports) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003;

(b) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules;

(c) Words and expressions used and not defined but defined in the said Act shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act.

3. **Preparation of annual report.**—(1) Every year the Central Commission shall prepare an Annual Report giving/containing a summary of its activities during the previous year commencing from the 1st day of April to the 31st day of March of the following year in the form specified in the Schedule.

(2) The Annual Report shall give an account of the activities during the previous financial year, containing *inter alia*—

(a) A statement of goals and objectives of the Central Commission;

IndiaCode

(b) Annual targets set for various activities in the background of clause (a) together with a brief review of actual performance with reference to those targets and including in particular a report on the number of cases filed before the Central Commission during the year, number of cases disposed of, time taken to dispose of the cases and number of cases pending;

(c) Important additions/changes in the regulations of the Central Commission;

(d) Functioning of the Central Advisory Committee and other consultation with the stakeholders;

(e) Trends of important parameters such as capital cost, cost of electricity, new investment, efficiency gains;

(f) Number and details of cases in which orders/regulations of the Commission were challenged in Courts/ Appellate Tribunal and the outcome of such cases;

(g) Resolution of disputes including the disputes pending at the end of the year.

4. **Submission of annual report.**—The copies of the Annual Report shall be forwarded by the Central Commission to the Central Government by the end of October each year.

**SCHEDULE**

**THE CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (PREPARATION OF ANNUAL REPORTS) RULES, 2004**

(See Rule 3)

**FORM OF ANNUAL REPORT OF THE CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**

1. The Commission in Brief.
2. The Mandate of the Commission.
3. Mission Statement.
4. The Year in Retrospect.
5. Annual Accounts of the Commission showing Receipts and Expenditure.
6. Outcome of Regulatory Process in terms of benefits to consumers and Development of Sector.
7. Work plan for the year ahead.

[F. No. 23/74/2003-R & R]

AJAY SHANKAR, Addl. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.